

कार्यालय- अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 के नियम-21(2) में निहित प्राविधानों के अनुसार अपर निदेशालय, गढ़वाल मण्डल स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु मण्डलीय स्थानान्तरण गठित समिति की संस्तुति अनुरूप शासनादेश संख्या 124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 के क्रम में स्थानान्तरण सत्र 2022-23 में पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत पशुधन प्रसार अधिकारियों के पदों पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को अनिवार्य/अनुरोध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में वर्णित स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क: पशुधन प्रसार अधिकारी

क(1):अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र०स०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभियुक्ति
01	श्री दलीप कुमार रतूडी	प० से० के० गाडी चमोली	सूकर अनुभाग पशुलोक ऋषिकेश, देहरादून	जनहित
02	श्री जितेन्द्र प्रसाद भट्ट	प० से० के० भटोली जोनपुर, टिहरी	प० से० के० इठारना, देहरादून	जनहित

क(2):अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र०स०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभियुक्ति
01	श्री सुशील प्रसाद मैठाणी	प० से० के० खड़ाखाल, रुद्रप्रयाग	प० से० के० मक्कू, रुद्रप्रयाग	निजि अनुरोध
02	श्री हर्षमणी सेमवाल	प० से० के० नैणी पोण्डार, रुद्रप्रयाग	प० से० के० मैखण्डी, टिहरी गढ़वाल	निजि अनुरोध
03	श्री अमित बहुखण्डी	प० से० के० अमोठा, पौड़ी गढ़वाल	प० से० के० संगलाकोटी, पौड़ी गढ़वाल	निजि अनुरोध
04	श्री राजेश राणा	मे० के०- पयारा, उत्तरकाशी	प० से० के० पीपलखण्डा, उत्तरकाशी	निजि अनुरोध

क(3):अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)

क्र०स०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभियुक्ति
01	श्रीमती कृष्णा मुसान	प० से० के०-धारकोट 'द'श्रेणी, देहरादून	प० से० के०-खाड़ी (कालसी) देहरादून	जनहित
02	श्री सन्तोष कुमार जुयाल	प० से० के०- हटवालगांव, टिहरी	प० से० के०-छमरौली (रायपुर)देहरादून	जनहित
03	श्री सत्येन्द्र पाल	प० से० के०-मेवडकला, हरिद्वार	प० से० के०-कोरुवा (कालसी)देहरादून	जनहित
04	श्रीमती दीपिका अग्रवाल	प० से० के०-भोपालपानी, देहरादून	प० से० के०-नगऊ(कालसी) देहरादून	जनहित

क(4):अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र०स०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभियुक्ति
01	श्री सुनील कुमार सुन्दियाल	प० से० के०-देवराजखाल, पौड़ी	प० से० के०-नवादा (रायपुर) देहरादून	धारा 27 के अन्तर्गत
02	श्री भोपाल सिंह भण्डारी	प० प्र० अ० (कुक्कुट)प० चि० सहसपुर, देहरादून	द श्रेणी पशुचिकित्सालय भाऊवाला, देहरादून	धारा 27 के अन्तर्गत

01/2

03	श्री प्रदीप कुमार मन्दोलिया	प0से0के0-स्थानाचट्टी, उत्तरकाशी	प0से0के0-दूधली (डोईवाला)देहरादून	पुत्र अस्वस्थ होने के कारण
----	--------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 एवं उक्त शासनादेश दिनांक 08 अप्रैल, 2022 के प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह0/- (डा0 अशोक कुमार)
अपर निदेशक।

पृ0सं0 1218

प्रतिलिपि:

/स्था0-2/स्थाना0-प0प्र0अ0/2022-23 दिनांक 09.07.2022
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
- 2- सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
- 3- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार।
- 4- परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान, पशुलोक-ऋषिकेश।
- 5- परियोजना निदेशक, भेड़ एवं फार्म आरेन्टेशन, मक्कू, रुद्रप्रयाग।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 7- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

(डा0 अशोक कुमार)
अपर निदेशक।

कार्यालय- अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 के नियम 13(3) में निहित प्राविधानों के अनुसार अपर निदेशालय गढ़वाल मण्डल स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु मण्डलीय स्थानान्तरण गठित समिति की संस्तुति अनुरूप शासनादेश संख्या 124/XXX-2-22-30 (13)2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 के क्रम में स्थानान्तरण सत्र 2022-23 में पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को अनुरोध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में वर्णित स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क: पशुधन प्रसार अधिकारी

क(7) अनुरोध के आधार पर पति-पत्नी अधिनियम के अन्तर्गत स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अस्थिविक्ति
01	श्रीमती शशि प्रमा	प0स0के0-आमसैण (यमकेश्वर) पौड़ी	प0स0के0-भौरी मगरपुर, हरिद्वार	निजि अनुरोध
02	श्री विनोद सिंह रावत	प0स0के0-पोखरी, टिहरी	गौवंश डेरी फार्म पशुलोक आमबाग ऋषिकेश	निजि अनुरोध
03	श्री विमल सिंह	प0स0के0-त्रिशूला, चमोली	प0स0के0- बसड़ा (रिखणीखाल) पौड़ी	निजि अनुरोध

उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 एवं उक्त शासनादेश दिनांक 08 अप्रैल, 2022 के प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें। -

अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह0/- (डा० अशोक कुमार)
अपर निदेशक।

पृ०सं० 1216

प्रतिलिपि:

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
- 2- सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
- 3- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पौड़ी, हरिद्वार, टिहरी, चमोली।
- 4- परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान, पशुलोक-ऋषिकेश।
- 5- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

/स्था०-2/स्थाना०-प0प्र0अ0/2022-23 दिनांक 09.07.2022
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० अशोक कुमार)
अपर निदेशक।

कार्यालय- अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 के नियम-21(2) में निहित प्राविधानों के अनुसार अपर निदेशालय गढ़वाल मण्डल स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु मण्डलीय स्थानान्तरण गठित समिति की संस्तुति अनुरूप शासनादेश संख्या 124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 के क्रम में स्थानान्तरण सत्र 2022-23 में पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत क्षेत्र प्रसार अधिकारियों के पदों पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को अनिवार्य/अनुरोध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में वर्णित स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क: क्षेत्र प्रसार अधिकारी

क(1):अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र०स०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभियुक्ति
01	श्री अरविन्द कुडियाल	स०कु०वि०प्रायोजना छाम, टिहरी	कुक्कुट प्रक्षेत्र, श्यामपुर, देहरादून	जनहित
02	श्री जगदीश सिंह गुसाई	रा०भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, केदारकांठा, चमोली	प०से०के०-मोहनसावड़ा, देहरादून	जनहित
03	श्री नन्द किशोर बिष्ट	प०से०के०-त्रिपालीसैण, पौड़ी	प०से०के०-नन्हेडा, हरिद्वार	जनहित

क(2):अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र०स०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभियुक्ति
01	श्री शौकत अली	प०से०के०-डुंगर, चमोली	प०से०के०-रोहिड़ा, चमोली	निजि अनुरोध
02	श्री दिनेश चन्द्र जोशी	प०से०के०-पोखरी, पौड़ी	प०से०के०-माजफ, टिहरी	निजि अनुरोध
03	श्री महेन्द्र सिंह रावत	प०से०के०-काण्डई, चमोली	प०से०के०-डुंगर, चमोली	निजि अनुरोध
04	श्री सुधीर काला	प०से०के०-केईपटी, नारायणबगड़, चमोली	प०से०के०-श्रीकोटखाल, पौड़ी	निजि अनुरोध
05	श्री विजय सिंह रावत	प०से०के०-हरमनी (नारायणबगड़) चमोली	रा०भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, केदारकांठा, चमोली	निजि अनुरोध

क(3):अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)

क्र०स०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभियुक्ति
01	श्री बिरेश बल	प०से०के०-नन्हेडा, हरिद्वार	प०से०के०-शीर्ष (जौनपुर)टिहरी	जनहित

उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 एवं उक्त शासनादेश दिनांक 08 अप्रैल, 2022 के प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह0/- (डा0 अशोक कुमार)
अपर निदेशक।

पृ0सं0 1215

प्रतिलिपि:

/स्था0-2/स्थाना0-क्षे0प्र0अ0/2022-23 दिनांक 09.07.2022

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
- 2- सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
- 3- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चमोली, हरिद्वार।
- 4- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

(डा0 अशोक कुमार)
अपर निदेशक।

कार्यालय- अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 के नियम 21(2) में निहित प्राविधानों के अनुसार अपर निदेशालय गढ़वाल मण्डल स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु मण्डलीय स्थानान्तरण गठित समिति की संस्तुति अनुरूप शासनादेश संख्या 124/XXX-2-22-30 (13)2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 के क्रम में स्थानान्तरण सत्र 2022-23 में पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को अनुरोध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में वर्णित स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क: पशुधन प्रसार अधिकारी

क(6):अनुरोध के आधार पर पारस्परिक स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अस्थिति
01	उजना नाज, प०प्र०अ०	प०से०के० उमेदपुर, देहरादून	प०से०के० पंडितवाड़ी, देहरादून	निजि अनुरोध
02	श्री पदम सिंह	प०से०के० पंडितवाड़ी, देहरादून	प०से०के० उमेदपुर, देहरादून	निजि अनुरोध
03	श्रीमती अंजू रावत	प०से०के० जड़ीपानी, टिहरी	प०से०के० डडुर, टिहरी	निजि अनुरोध
04	श्री मनोज कुमार	प०से०के० डडुर, टिहरी	प०से०के० जड़ीपानी, टिहरी	निजि अनुरोध
05	श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान	प०से०के० रंगड गाँव, टिहरी	प०से०के० कुमाल्डा, टिहरी	निजि अनुरोध
06	श्री धर्मवीर सिंह	प०से०के० कुमाल्डा, टिहरी	प०से०के० रंगड गाँव, टिहरी	निजि अनुरोध
07	श्री मनोज राणा	प०से०के० डांगडुगरी, टिहरी	प०से०के० कमान्ड, टिहरी	निजि अनुरोध
08	श्रीमती आशा सेमवाल पैन्थली	प०से०के० कमान्ड, टिहरी	प०से०के० डांगडुगरी, टिहरी	निजि अनुरोध

उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 एवं उक्त शासनादेश दिनांक 08 अप्रैल, 2022 के प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/- (डा० अशोक कुमार)
अपर निदेशक।

पृ०सं० 1217

प्रतिलिपि:

/स्था०-2/स्थाना०-प०प्र०अ०/2022-23 दिनांक 09.07.2022
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
- 2- सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
- 3- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून, टिहरी।
- 4- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० अशोक कुमार)
अपर निदेशक।